<u>दिनांक 17.05.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 141वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 141वीं बैठक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता एवं डॉ. सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार की सह-अध्यक्षता में आयोजित की गई. उक्त बैठक में श्री पवन कुमार गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग एवं पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, श्री मोहन लाल यादव, आयुक्त कृषि एवं निदेशक, उद्यानिकी विभाग, राजस्थान सरकार, श्री संजय कुमार, उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री सुरेश चंद, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री प्रकाश वीर राठी, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्रीमति काया त्रिपाठी, महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया. उन्होने एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की. उन्होने बताया कि राज्य के अच्छे विकास के लिए एसएलबीसी का मजबूत एवं कार्यशील होना बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होने बताया कि राज्य में लगभग सभी पैरामीटर में संतोषजनक कार्य हुआ है. साथ ही सभी बैंकों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में नयी ऊर्जा, प्रतिबद्धता एवं राज्य व केंद्र सरकार के समन्वय के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का अनुरोध किया. तत्पश्चात उन्होने समिति के अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया.

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं सदस्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की. उन्होने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सम्माननीय मंच पर राज्य सरकार और वरिष्ठ बैंकर्स के साथ उपस्थित होकर विचार साझा करने में अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है.

उन्होने दिनांक 27.03.2019 को आयोजित 140वीं एसएलबीसी राजस्थान की बैठक के बाद हुई विभिन्न योजनाओं की अद्यतन सूचना से सदन को अवगत करवाया जिनमें से प्रमुख निम्नानुसार है :

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समस्त राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार से अनुरोध किया गया है कि जिला एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ समन्वय स्थापित कर समस्त किसानों को समयबद्ध तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान किए जाएँ जिससे उन्हे संस्थागत ऋण के समूह में लाया जा सके. उक्त अभियान के

तहत प्रगति की निगरानी हेतु मंत्रालय द्वारा डैशबोर्ड विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है जिसके द्वारा फ़सली ऋण, पशुपालन व मत्स्य पालन हेतु ऋण एवं मौजूदा केसीसी धारक किसानों के लिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रदान की गयी केसीसी उप सीमा की समीक्षा की जा सकेगी. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि राज्य/ जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें जिससे केसीसी ऋणों की त्वरित स्वीकृति एवं प्रसंस्करण सुनिश्चित किया जा सके.

- भारतीय रिजर्व बैंक देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल के वर्षों में उन्नत फ़ाईनेंशियल टेक्नोलोजी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने विनियामक एवं पर्यवेक्षी ढांचे को लगातार अद्यतन किया जा रहा है जिससे बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी तक फ़ाईनेंशियल टेक्नोलोजी के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जा सकें।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई वर्षों से ई-भुगतान के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे नगदीहीन अथवा कम नकदी की अर्थव्यवस्था कायम की जा सके. हाल ही में आरबीआई द्वारा विज़न दस्तावेज़ जारी किया गया है जिसके अनुसार वर्ष 2021 के अंत तक डिजिटल लेनदेन 4 गुना बढ़कर 8,700 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है.
- वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेग्युलेटरी अथॉरिटी (WDRA) द्वारा नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों के वित्तपोषण के तहत यह निर्णय लिया गया है कि समस्त समपार्श्विक प्रबन्धकों को WDRA से पंजीकृत एक या अधिक रिपोजिटरी के साथ स्वयं को पंजीकृत करना होगा एवं दिनांक 01.06.2019 से सभी एनडबल्यूआर रसीद इलेक्ट्रोनिक रूप में जारी की जाएंगी.
- माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ (MSME) को देश के "विकास के इंजन" के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र द्वारा बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने, विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने, क्षेत्रीय असमानताओं को संतुलित करने एवं देश की जीडीपी में योगदान देने जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई जा रही हैं, जो कि भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने में मददगार साबित हो रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा बैंक स्तर पर विभिन्न अभियान चलाये जा रहे हैं जिससे बैंकों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से इस क्षेत्र में नवोन्मेषिता/ गति लायी जा सके।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा MSMEs के पुनर्गठन एवं ब्याज सबवेन्शन स्कीमों में छूट (दिनांक 02.11.2018 से 31.03.2020 तक रु 100 लाख तक के वृद्धिशील ऋण पर 2% ब्याज सबवेंशन) प्रदान की है जिसके क्लेम निर्धारित प्रारूप में सिडबी को भेजे जावेंगे. राजस्थान एमएसएमई क्षेत्र का हब है, इसे देखते हुए उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि सरकार के साथ मिलकर एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने के लिए काम करें ताकि राज्य में समग्र विकास हो सके तथा बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सके।
- इनवॉयस ट्रेडिंग भारत में फिनटेक एप्लिकेशन का एक और नवजात क्षेत्र है। यह एमएसएमई क्षेत्र का सहायक है जिसमें अक्सर भुगतान में विलंब के कारण कार्यशील पूंजी और नकदी प्रवाह की समस्याएं होती हैं. RBI ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDs) की स्थापना की है, जो एक अभिनव वित्तपोषण व्यवस्था है जहां बिलों और चालानों को discount कराने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाता है.

- वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्य में 895 ऐसे केन्द्रों की सूची प्रेषित की गयी जहां 5 कि.मी. की परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं थी. उन्होने उक्त 895 केन्द्रों में से 887 केन्द्रों पर सदस्य बैंकों द्वारा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाए जाने पर बधाई दी एवं उक्त केन्द्रों पर निर्बाध रूप से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने हेतु अनुरोध किया. साथ ही शेष रहे 8 केन्द्रों पर भी शीघ्र बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु संबन्धित बैंकों से अनुरोध किया.
- एमएसएमई आउटरीच अभियान के तहत सभी 7 चिन्हित जिलों का प्रदर्शन 100% से अधिक रहा है (1.40 लाख खातों के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 2.40 लाख खाते). उन्होने समस्त सदस्य बैंकों को इस अभियान को एक सफल कार्यक्रम बनाने के लिए अपना योगदान देने के लिए बधाई दी.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य के दिसंबर 2018 तिमाही के विभिन्न मापदंडों यथा कुल जमाओं, कुल अग्रिमों, कृषि अग्रिमों, सीमांत एवं लघु कृषकों को ऋण, वार्षिक साख योजना के अंतर्गत उपलब्धि, साख जमा अनुपात इत्यादि के बारे में बताया एवं उक्त सभी मापदंडों पर एजेंडा के कार्यबिन्दु के साथ चर्चा करने की सलाह दी. उन्होने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व स्टैंड अप योजना में बैंकों को आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में अधिक से अधिक नामांकन करवाने हेतु बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया. साथ ही उन्होने प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों में आधार सीडिंग, आधार प्रमाणीकरण, मोबाइल नंबर व रूपे कार्ड एक्टिवेशन पर भी प्रकाश डाला।

साथ ही उन्होने निम्न मुद्दों पर राज्य सरकार से सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया:-

- राको (रोड़ा) एक्ट एवं SARFAESI एक्ट के अंतर्गत जिला/ ब्लॉक स्तर पर बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित है. यहाँ तक कि कुछ मामले तो एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं. बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए को देखते हुए वसूली हेतु बैंकों के पक्ष में वातावरण बनाने की आवश्यकता है.
- संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा SARFESAI अधिनियम के मामलों में अनुमति देने में असामान्य देरी करने के मुद्दे पर राज्य सरकार से सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया.
- धोखाधड़ी, ठगी इत्यादि से संबन्धित मामलों में एफ़आईआर दर्ज करने में पुलिस विभाग द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। इस कारण से बैंक द्वारा उक्त मामलों में एफ़आईआर दर्ज करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः पुलिस विभाग द्वारा सहयोग अपेक्षित है।

अंत में राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास की प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद किया.

संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने इसके पश्चात मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड को सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

श्री सुरेश चंद, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं राज्य और केंद्र सरकार तथा बैंकों के समस्त अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होने बताया कि राजस्थान के विकास में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है एवं राज्य में और अधिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होने राज्य के किसानों के विकास से संबन्धित प्रमुख मुद्दों से सदन को अवगत करवाया जैसे कि अधिकाधिक किसानों को केसीसी ऋण सुविधा प्रदान करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कवरेज़ बढ़ाया जाना, फसल खराब होने के कारण किसानों की दयनीय स्थिति होना इत्यादि। उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए बैंकों एवं सरकार को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता बताई। नाबार्ड द्वारा भी इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं जैसे वाटरशेड बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गयी, किसानों की आय बढ़ाने के लिए एफ़पीओ स्थापित किए गए हैं, ई-शक्ति परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों का डिजिटाईजेशन किया जा रहा है जिससे बैंकों को ऋण देने में मदद मिल सकेगी, इन्फ्रास्ट्रक्टर डवलपमेंट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। साथ ही बताया कि नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से स्टार्टअप्स के लिए जल्द ही वेंचर कैपिटल फ़ंड उपलब्ध करवाया जाएगा। किसान परिवार की आय बढ़ाने हेतु उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि आरसेटी को और सुदृढ़ बनाया जाये जिसके लिए नाबार्ड द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने तदुपरान्त क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक राज्य में वित्तीय समावेशन एवं क्रेडिट आउटरीच हेतु विभिन्न अभियान चलाने में सर्वाधिक रूप से सक्रिय है। एसएलबीसी के द्वारा उक्त अभियानों को राज्य भर में चला कर राज्य के विकास के प्रमुख इंजन के रूप में कार्य किया जा रहा है।

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन पर जयपुर में आयोजित किए गए क्षेत्रीय सम्मेलन में चर्चित मुख्य बिन्दुओं से सदन को अवगत करवाते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक में हुए नए विकास की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाए जाने पर कार्य किया जाना चाहिए। अल्प कालीन ऋणों के साथ साथ बैंकों द्वारा इनवेस्टमेंट क्रेडिट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जमीनी स्तर पर प्रत्येक योजना का लाभ पहुंचाने एवं सुविधाओं से अछूते रह गए लोगों के लिए सभी बैंकों से अनुरोध किया कि अपने कार्यक्षेत्र में कुछ रचनात्मक एवं नवीन प्रयास किए जाएँ जिससे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके। उन्होने बताया कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए बैंकों द्वारा आमतौर पर सिर्फ अनुपालना करने का रवैया दिखाया जाता है जबकि उक्त योजनाओं के लिए लक्षित वर्ग से बैंकों के क्रेडिट पोर्टफोलियो में काफी मात्रा में मूल्य संवर्धन किए जाने की संभावनाएं हैं।

उन्होने सदन को अवगत करवाया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा **"कृषकों को वित्तीय साक्षरता"** थीम पर दिनांक 03.06.2019 से 07.06.2019 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त अभियान में बढ़चढ़ कर भाग लें एवं वित्तीय साक्षरता का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाकर उक्त अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान देवें. साथ ही बताया कि सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों को वित्तीय साक्षरता सप्ताह के आयोजन की कार्ययोजना बनाने एवं सामग्री के वितरण हेतु निर्देशित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक सम्मेलन/बैठक का आयोजन भी किया जाएगा.

राज्य में 5000 से अधिक आबादी वाले 171 बैंकरहित गांवों में ब्रिक एंड मोर्टार शाखा एवं बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर सभी बैंकों को बधाई दी एवं उक्त शाखाओं एवं बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंक के लिए व्यवसाय भी कैनवास करने का सुझाव दिया. राज्य के विकास एवं वित्तीय समावेशन में बैंक मित्रों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बैंक मित्रों को और अधिक सुदृढ़ बनाने एवं क्षमता निर्माण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि ऋण देते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि जिस उद्देश्य के लिए ऋण योजना चलायी गयी है उसी उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान किए जाएँ जिससे उस पर मिलने वाली ब्याज अनुदान की राशि का सही उपयोग हो सके.

अंत में उन्होने राज्य के विकास में बैंकों को राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। एसएलबीसी की बैठक में राज्य सरकार के उच्च स्तर के अधिकारियों की सहभागिता की भी आवश्यकता बतलाई.

संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार को सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया.

श्री सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने औद्योगिक माहौल के संदर्भ में बताया कि उनके विभाग द्वारा नए उद्योगपतियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जिसमें से प्रमुख है नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 वर्ष तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है एवं राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा 3 वर्ष तक किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया जाएगा.

राज्य सरकार का उक्त कदम नए उद्यमियों को अत्यधिक प्रोत्साहित करेगा. इस संबंध में उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि उद्यमियों पर विश्वास कर वित्त पोषित करें. जिससे लोगों को स्टार्ट अप स्थापित करने में आसानी हो एवं राज्य में उद्यमिता का माहौल बन सके. उक्त सुधारों से राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे.

संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग एवं पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार को सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया.

श्री पवन कुमार गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग एवं पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि राजस्थान राज्य की आधे से भी अधिक आबादी की आजीविका कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है. अतः किसानों को आत्मनिर्भर बनाना अत्यंत आवश्यक है. इस दिशा में बैंकों से अनुरोध किया कि कृषि ऋण की तरह ही फल-सब्जी एवं फूलों के उत्पादन हेतु भी कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाये. साथ ही बताया कि फार्म हाउस, पॉली हाउस इत्यादि अत्यधिक महंगे निवेश होने के कारण इन पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी केवल बड़े किसानों को ही मिल पाता है. साथ ही बताया कि किसानों की आय बढ़ाने एवं उनकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु बैंकों एवं राज्य सरकार को मिलकर कार्य करना चाहिए. राज्य सरकार द्वारा किसानों को 10 एकड़ तक की भूमि पर एग्री- प्रोसेसिंग ईकाई लगाने के लिए भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है एवं सब्सिडी प्रदान करने पर विचार चल रहा है. साथ ही राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं पशुपालन की एकीकृत नीति एवं किसान आयोग के गठन का कार्य भी जारी है.

संयोजक, एसएलबीसी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष महोदय एवं मंच की अनुमति से श्री राकेश शर्मा, उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान से बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ करने के निर्देश प्रदान किए.

श्री राकेश शर्मा, उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उन्होने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

<u>एजेण्डा क्रमांक -1</u> (1.1) विगत **140** वीं बैठक के कार्यवृत्त की सदन द्वारा पुष्टि की गयी.

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2</u>

<u>Revamp of Lead Bank Scheme</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम में सुधारों के लिए दिए गए सुझावों की अनुपालना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के कार्यवाही बिन्दुओं में परिवर्तन किए गए हैं जिनमें से मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं-

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक नीतिगत मुद्दों पर ही चर्चा करने के लिए केन्द्रित होगी एवं उक्त बैठक में बैंकों/ विभिन्न सरकारी विभागों के केवल राज्य प्रमुख/ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही सहभागिता की जावेगी.
- नियमित मुद्दों पर चर्चा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उप समितियों की बैठक में की जाएगी.

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की त्रैमासिक बैठक हेतु नीतिगत मुद्दो एवं एजेंडा मसौदे का निर्धारण स्टियरिंग समिति बैठक में विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जावेगा.

उन्होने विभिन्न उपसमितियों के आयोजन का विवरण प्रस्तुत किया जो कि निम्नानुसार है:-

उपसमिति	**बैठक की दिनांक**
1. वित्तीय समावेशन	12.04.2019
2. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं	16.04.2019
3. एसएचजी/जेएलजी/ एफ़पीओ	16.04.2019
4. कृषि योजनाओं से संबन्धित	02.05.2019
5. एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन	30.04.2019
6. बकाया ऋण वसूली	16.05.2019

उन्होने बताया कि आज आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 141वीं बैठक के कार्यबिन्दु तैयार करने हेतु स्टियरिंग समिति की पांचवी बैठक दिनांक 08.05.2019 को आयोजित की गयी.

<u>एजेण्डा क्रमांक - 3</u>

Key Business Parameters

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि 31 मार्च, 2019 तक राज्य में कुल 7910 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं. वित्तीय वर्ष 2018-19 में मार्च तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 378 शाखाएं खोली गयी हैं एवं विभिन्न बैंकों द्वारा मार्च तिमाही में 55 नई शाखाएं खोली है.

जमाएँ व अग्रिम: 31 मार्च, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 13.00% के साथ कुल जमाएँ राशि रू 3,93,850 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 21.27% के साथ कुल बकाया ऋण राशि रूपये 3,34,337 करोड़ रहे हैं. जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 11.70%, 13.94% एवं 7.08% रही तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 19.25%, 14.89% एवं सहकारी बैंकों में नकारात्मक वृद्धि (Negative growth) 19.07% रही. राज्य का साख जमा अनुपात 87.37% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बेंचमार्क से काफी उपर है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 मार्च, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 14.93% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रू 2,17,628 करोड़ रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 मार्च, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 6.76% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,06,759 करोड़ रहा है. सहकारी बैंकों की कृषि ऋणों में नकारात्मक वर्ष दर वर्ष वृद्धि 14.87% रहने के कारण राज्य में कृषि ऋणों में वृद्धि आशानुरूप नहीं रही है.

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण: 31 मार्च, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 23.30% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त बकाया ऋण राशि रूपये 77,206 करोड़ रहा है.

कमजोर वर्ग को ऋण: 31 मार्च, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 5.67% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त बकाया ऋण राशि रूपये 68,593 करोड़ रहा है.

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 31 मार्च, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 13.95% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त बकाया ऋण रूपये 15,579 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को अग्रिम 65.09%, कृषि क्षेत्र को 31.93%, कमजोर वर्ग को 20.52%, लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 14.34% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 12.16% रहा है.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन में राजस्थान के नजदीकी राज्य हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के 31 मार्च, 2019 के साख जमा अनुपात (CD Ratio), वार्षिक साख योजना में उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति संतोषप्रद पायी गयी. राज्य के सभी बैंकर्स एवं अन्य सभी हितग्राहियों को इसके लिए बधाई दी.

<u>एजेण्डा क्रमांक - 4</u>

Roadmap for coverage of villages having population above 5000 (As per census 2011)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित 171 गॉवों में से दिनांक 31.03.2019 तक 50 गॉवों में बैंक शाखाएं खोली जा चुकी हैं एवं 121 गांवों में बीसी के माध्यम से बैंकिंग आउटलेट की औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. उन्होने उक्त गांवों का 100% कवरेज करने पर समस्त बैंकों को बधाई दी एवं उक्त गांवों में निर्बाध रूप से बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति की बैठक में समस्त बैंकों के बीसी की मॉनिटरिंग की जाएगी जिससे सभी गांवों में निर्बाध रूप से बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें.

साथ ही उन्होने उक्त बिन्दु पर बैंको द्वारा 100% अनुपालना कर दिये जाने के कारण इसको आगामी बैठक के कार्यबिन्दु से हटाने का सदन से अनुरोध किया. इस पर सदन ने सहमति प्रदान की.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि उक्त गांवों का 100% कवरेज कर लिया गया है परंतु बीसी द्वारा केंद्र पर निर्बाध रूप से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं अथवा नहीं, इसकी निगरानी

करना अत्यंत आवश्यक है. अतः उन्होने समस्त बैंकों को उक्त समस्त बैंकिंग आउटलेट के लेन-देन पर निगरानी रखने के निर्देश प्रदान किए.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बीसी द्वारा बिना किसी कारण के यदि लगातार 3 दिन किसी प्रकार का लेनदेन नहीं किया जाता है तो उसे inactive माना जाये. इस स्थिति में या तो उसे पुनः एक्टिव करवाया जाये अथवा नया बीसी लगाकर उसे replace किया जाये.

Unbanked Rural Centers (URC)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में चिन्हित 895 बैंकरहित गांवों (5 किमी की परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के रोड्मेप) को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया है. उक्त 895 बैंकरहित गांवों की सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की वैबसाइट पर भी अपलोड कर दी गयी थी. इस संबंध में उन्होने बताया कि एयू स्माल फ़ाईनेंस बैंक, ईक्विटास स्माल फ़ाईनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कुल 8 बैंकरहित गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना शेष है.

उक्त 895 बैंकरहित गांवों में से 887 गांवों में बैंक मित्र (BC) के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं एवं 1 गांव में बीसी को चयनित किया जा चुका है. 7 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना शेष है.

उन्होने बताया कि यूनाइटेड बैंक द्वारा बहुत लंबे समय से 1 केंद्र पर बीसी को चयनित किए जाने से सूचित किया जा रहा है लेकिन दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार बीसी द्वारा कार्य करना शुरू नहीं किया गया है. उन्होने यूनाइटेड बैंक को वर्तमान स्थिति से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया लेकिन यूनाइटेड बैंक के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा सहभागिता नहीं की गई.

इस पर क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि द्वारा सहभागिता नहीं करने एवं वित्तीय समावेशन में असहयोगात्मक रवैये से बैंक के प्रधान कार्यालय को सूचित करने के लिए एसएलबीसी को निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही : एसएलबीसी राजस्थान एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया)

प्रतिनिधि, एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक ने बताया कि उनके बैंक को आवंटित 21 गांवों मे से 18 गांवो में व्यवसाय प्रतिनिधियों को नियुक्त कर दिया गया है एवं शेष रहे 3 गांवों में से एक गाँव में बीसी को चयनित किया जा चुका है एवं अन्य 2 गांवों के अस्तित्व का पता नहीं लगाया जा सका है जिसमें से 1 गाँव की जनसंख्या शून्य प्रदर्शित है.

प्रतिनिधि, सूचना, प्रद्योगिकी एवं संचार, विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि इस संबंध में उनके विभाग को एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है एवं उक्त दोनों गांवों की वर्तमान स्थिति की जांच के लिए संबन्धित जिलों में प्रकरण प्रेषित किया गया है जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही एसएलबीसी को अवगत करवा दिया जावेगा.

(कार्यवाही : सूचना, प्रद्योगिकी एवं संचार, विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, इक्वीटास स्मॉल फाईनेंस बैंक ने सूचित किया है कि आंवटित 2 गांवों से उनके बैंक की शाखाओं की दूरी काफी ज्यादा होने के कारण वहाँ व्यवसाय प्रतिनिधि को नियुक्त करने में असमर्थता जाहिर की है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, **राजस्थान** ने उनके वक्तव्य पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं उनके बैंक को आंवटित गांवों से उनके बैंक की शाखाओं की दूरी काफी ज्यादा है तो एसएलबीसी से चर्चा कर किसी भी दूसरे बैंक से विनिमय (Swap) कर सकते है लेकिन किसी भी बैंक को एसएलबीसी/आरबीआई/सरकार द्वारा बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आवंटित गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने की कार्यवाही स्वीकार नहीं की जा सकती.

(कार्यवाही : इक्वीटास स्मॉल फाईनेंस बैंक, राजस्थान)

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक ने आवंटित 3 गांवों में से 2 गांवों में आज दिनांक तक बैंक शाखा की स्थापना अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (BC) को नियुक्त नहीं किया गया हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 5000 से अधिक आबादी वाले गावों (जहाँ पर कोई बैंक शाखा नहीं है) में मार्च 2017 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखा खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके तहत कोटक महिंद्रा बैंक को 2 गांव यथा खान सूरजपुर जिला भरतपुर एवं सांगना जिला जालौर आवंटित किए गए थे लेकिन बैंक द्वारा आवंटित गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु असमर्थता जाहिर की गयी थी. एसएलबीसी की उपसमिति बैठक में आवंटित गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त गांव अन्य बैंको को आवंटित किए गए जहां वर्तमान में बैंकिंग आउटलेट स्थापित कर दिए गए हैं. कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन में योगदान नहीं दिये जाने के संबंध में एसएलबीसी द्वारा उक्त बैंक के उच्च प्रबंधन को कई बार पत्र लिखे गए हैं लेकिन किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया।

प्रतिनिधि, कोटक महिंद्रा बैंक ने 30 जून, 2019 तक उनके बैंक को आवंटित गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन प्रदान किया.

कोटक महिंद्रा बैंक के गैर जिम्मेदार रवैये पर क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं कोटक महिंद्रा बैंक के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सदन को आश्वस्त किया.

(कार्यवाही : भारतीय रिजर्व बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, **राजस्थान** ने अति. मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार से राज्य के विकास में अहसयोगात्मक रवैया अपनाने वाले कोटक महिंद्रा बैंक के विरुद्ध राज्य सरकार के स्तर से कड़ी कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया.

संयुक्त निदेशक, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के तहत राज्य में नगण्य प्रगति एवं असहयोगात्मक रवैये के बारे में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हे वित्तीय समावेशन में सहयोग करने के लिए निर्देश प्रदान किए गए है लेकिन आज दिनांक तक कोटक महिंद्रा बैंक से अपेक्षित कार्यवाही प्रतिक्षित हैं.

अति. मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार ने शीघ्र उक्त प्रकरण पर राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही करने का सदन को आश्वासन प्रदान किया.

(कार्यवाही : कृषि विभाग, राजस्थान सरकार एवं आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में PMJDY के तहत 2.49 करोड़ खाते खोले गए है एवं उक्त खातों में दिनांक 31.03.2019 तक RUPAY कार्ड एक्टिवेशन 44.29% तथा आधार सीडिंग 86.28% है. साथ ही उन्होने समस्त बैंकों से 100% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने RUPAY कार्ड एक्टिवेशन का प्रतिशत अत्यंत कम होने पर चिंता व्यक्त की. इसमें प्रगति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित किए जाने वाले वित्तीय साक्षरता सप्ताह के दौरान बैंकों को RUPAY कार्ड एक्टिवेशन बढ़ाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि RUPAY कार्ड एक्टिवेशन के साथ साथ कुछ जिलों में राज्य के औसत से रुपे कार्ड जारी करने की प्रतिशत काफी कम है जिस पर भी उन्होने चिंता व्यक्त की एवं इसे भी बढ़ाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने का सभी बैंकों को निर्देश प्रदान किए एवं दिनांक 30.06.2019 तक बैंक शाखाओं द्वारा कुल जारी किए गए रुपे कार्ड एटीएम के सापेक्ष न्यूनतम 50% तक रुपे कार्ड एटीएम Activate करने के समस्त बैंकों को निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही : नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY, PMJJBY एवं APY के तहत दिनांक 31.03.2019 तक कुल नामांकन 80.65 लाख होने के बारे में सूचित किया जो कि 28.02.2019 में 77.63 लाख था. दिनांक 31.03.2019 तक कुल 12019 क्लेम दायर किए गए जिसमें से 10,674 क्लेम का भुगतान कर दिया गया है एवं बीमा कंपनी के पास 395 क्लेम लंबित हैं. उन्होने बीमा क्लेम का भुगतान करने के लिए समस्त बीमा कंपनियों से अनुरोध किया.

अटल पेंशन योजना

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अटल पेंशन के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. राज्य में कुल योजना 4,10,835 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.03.2019 तक उपलब्धि 53.56% रही है. उक्त योजनांतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है. साथ ही बताया कि सहकारी बैंकों एवं स्माल फ़ाईनेंस बैंकों की शून्य प्रगति रही है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, **राजस्थान** ने राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक एवं स्माल फ़ाईनेंस बैंकों की शून्य प्रगति पर नाराजगी जाहिर की एवं उन्हे अटल पेंशन योजना के तहत अधिकाधिक लोगो को प्रोत्साहित करने के लिए नियंत्रक, राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक एवं स्माल फ़ाईनेंस बैंकों को निर्देशित किया.

(कार्यवाही : राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक एवं स्माल फ़ाईनेंस बैंक)

प्रतिनिधि, राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक ने बताया कि अटल पेंशन योजना प्रारम्भ करने में नाबार्ड से स्वीकृति देरी से पाप्त हुई एवं बैंक के सॉफ्टवेयर में अपडेशन नहीं हो पाने के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में उक्त योजनांतर्गत प्रगति नहीं हो पायी है. साथ ही सूचित किया कि उक्त योजना पर कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा एवं समस्त जिला सहकारी बैंकों को भी इस विषय में निर्देशित किया जा चुका है तथा वर्कशॉप के माध्यम से समस्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यवाही हेतु प्रयासरत है. उन्होने आगामी तिमाही में इस योजना पर प्रगति किए जाने का आश्वासन प्रदान किया.

प्रतिनिधि, एयू स्माल फ़ाईनेंस बैंक ने भी आगामी तिमाही में इस योजना पर प्रगति किए जाने का आश्वासन प्रदान किया.

एजेण्डा क्रमांक - 5

वार्षिक साख योजना (ACP)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्ष 2018-19 के वार्षिक साख योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रू 1,63,060 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में मार्च तिमाही तक की उपलब्धि राशि रू 1,41,857 करोड़ की रही है जो कि 87.00% उपलब्धि है. कृषि में 67.15%, सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र में 165.92% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 71.94% की उपलब्धि दर्ज की गई है.

साथ ही उन्होने बताया कि वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 के निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष मार्च 19 तिमाही तक वाणिज्यिक बैंकों ने 98.23%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 74.24%, को-

ऑपरेटिव बैंक ने 41.83% तथा स्माल फ़ाइनेंस बैंकों ने 1467.65% की उपलब्धि दर्ज की है. उन्होने स्माल फ़ाइनेंस बैंकों को अपने पहले वित्तीय वर्ष में अच्छा प्रदर्शन करने पर बधाई दी.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, आईडीबीआई, इंडियन बैंक, इंडियन ओवेरसीज़ बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनाईटेड बैंक, आरएससीबी की वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति 70% से कम रहने से सूचित किया है. उन्होने उक्त बैंकों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे कम प्रगति रहने के कारणों से सदन को अवगत करावें.

प्रतिनिधि, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बताया कि उनके बैंक द्वारा वार्षिक साख योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्रेडिट कैंप लगाए जा रहे हैं. वर्ष 2019-20 में लक्ष्यों को प्राप्त करने का आश्वासन प्रदान किया.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजस्थान के नजदीकी राज्य हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के 31 मार्च, 2019 के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति संतोषप्रद एवं अन्य राज्यों से बेहतर पायी गयी.

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एनआरएलएम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित 44,180 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज करने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.03.2019 तक 43,322 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज किया गया है जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 98.06% एवं लक्ष्य राशि के सापेक्ष 116% की उपलब्धि रही है.

परियोजना निदेशक, राजीविका, राजस्थान सरकार ने बताया कि वर्ष 2019-20 के लक्ष्य तिमाही आधार पर प्रदान किए जाएँ जिससे अंतिम तिमाही में लक्ष्य प्राप्ति हेतु दबाव ना पड़े.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की उपसमिति बैठक में निर्णय लिया जा चुका है कि वर्ष 2019-20 के लक्ष्य तिमाही आधार पर प्रदान किए जाएंगे एवं दिसंबर, 19 तिमाही तक सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे जिससे मार्च 2020 तिमाही में बैंकों को उनके वित्तीय वर्ष के बैंकिंग व्यवसाय पर ध्यान देने हेतु समय मिल जाये.

<u>स्वयं सहायता समूह (SHG)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि मार्च 2019 तक 3,01,236 एसएचजी के बचत खाते खोले गए है एवं 75,790 एसएचजी पर राशि रू 554.61 करोड़ का ऋण बकाया है.

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत दिनांक 31.03.2019 तक एनयूएलएम योजना के तहत 6000 व्यक्तियों, 200 समूहों एवं 1120 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि क्रमशः 5376 (89.60%), 112 (56%) एवं 876 (78.21%) रही है.

उन्होने बताया कि उक्त योजनांतर्गत बैंकों को प्राप्त होने वाले आवेदनों का गुणवत्ता स्तर अच्छा नहीं होने एवं एक केंद्र पर समान प्रकार के व्यवसाय हेतु कई आवेदन प्राप्त होने की दशा में सभी आवेदन स्वीकृत करना संभव नहीं हो पता है, जो कि लक्ष्य से कम प्रगति रहने का प्रमुख कारण है. दिनांक 16.04.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति (केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं) में लंबित आवेदन पत्रों के Reconciliation के अभाव में पूर्व के वर्षों के लंबित आवेदन पत्रों की संख्या शून्य मानी जावेगी एवं उनको दुबारा प्रायोजित कर बैंक शाखाओं को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्ष 2018-19 के पीएमईजीपी के तहत राज्य में मार्जिन मनी के लक्ष्य राशि रू 77.43 करोड़ के सापेक्ष राशि रू 58.59 करोड़ की मार्जिन मनी के ऋणों की बैंकों द्वारा राशि वितरित की है, जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 75.66% (ऋण पर मार्जिन मनी वितरित) उपलब्धि है.

उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि बिना EDP प्रशिक्षण के जो ऋण स्वीकृत किए गए हैं उनके लाभार्थियों का ईडीपी प्रशिक्षण दिनांक 30.06.2019 तक करवा लिया जाये अन्यथा उन्हे सब्सिडी मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है एवं इसके लिए केवीआईसी, केवीआईबी एवं उद्योग विभाग को उक्त समस्त लाभान्वितों की दिनांक 30.06.2019 तक ईडीपी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार ने बताया कि वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकों को पीएमईजीपी योजनांतर्गत बहुत अच्छा सहयोग प्रदान करने पर बधाई दी. साथ ही उन्होने बताया कि बैंकों में आज दिनांक तक 1309 ऋण आवेदन पत्र लंबित हैं जिनका शीघ्र निस्तारण करने हेतु समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंकों से अनुरोध किया.

उन्होने राज्य निदेशक, आरसेटी से अनुरोध किया कि जिन जिलों में ईडीपी प्रशिक्षण हेतु 10 से कम प्रशिक्षणार्थी हैं उनकी सूची उपलब्ध करवा दी जाये ताकि उक्त प्रशिक्षणार्थियों को अन्य समीप के जिलों की आरसेटी में ईडीपी प्रशिक्षण प्रदान करवाया जा सके.

(कार्यवाही : राज्य निदेशक, आरसेटी)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने केवीआईसी, केवीआईबी एवं उद्योग विभाग को डीएलटीसी में अच्छी गुणवत्ता वाले आवेदन पत्र चयन कर संबन्धित शाखाओं को प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किए एवं आवेदन पत्रों के अस्वीकृत/लौटाने के कारणों का विश्लेषण आगामी एसएलबीसी की उपसमिति में करें.

(कार्यवाही : एसएलबीसी, राजस्थान एवं केवीआईसी, भारत सरकार)

Special Central Assistance Scheme SC/ST

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 24,850 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.03.2019 तक मात्र 6089 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 24.50% उपलब्धि है.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने राजस्थान अनुजा निगम लि॰ के वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से एसएलबीसी की उपसमिति बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 16.04.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति (केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं) में लंबित आवेदन पत्रों के Reconciliation के अभाव में पूर्व के वर्षों के लंबित आवेदन पत्रों की संख्या शून्य मानी जावेगी एवं उनको दुबारा प्रायोजित कर बैंक शाखाओं को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया को सुगम बनाने एवं आवेदनों के समयबद्ध निबटान हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है.

प्रतिनिधि, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि उक्त पोर्टल तैयार किया जा चुका है एवं टेस्ट रन भी हो चुका है. उन्होने शीघ्र ही वेब पोर्टल के प्रस्तुतीकरण के लिए एक बैठक आयोजित करने एवं उक्त बैठक में प्रमुख बैंकों व केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के नोडल अधिकारियों की सहभागिता के लिए अनुरोध किया.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने एसएलबीसी से समन्वय कर उक्त बैठक शीघ्र आयोजित करने के प्रतिनिधि, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार को निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही : सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के आवंटित लक्ष्यों रू 11,933.08 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2019 तक राशि रू 10,177.32 करोड़ के ऋण बैंकों ने वितरित कर दिये हैं, जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 85.29% है.

साथ ही बताया कि दिनांक 31.03.2019 तक आरसेटी प्रशिक्षुओं के मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण हेतु लगभग 2685 आवेदन लंबित हैं. उन्होने डीसीसी संयोजक बैंकों से अनुरोध किया कि डीएलआरसी/ बीएलबीसी बैठकों में प्रगति की निगरानी करने के लिए अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देशित करें.

प्रतिनिधि, अनुजा निगम, राजस्थान सरकार ने बताया कि उनके विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से विशेष केंद्रीय सहायता योजनांतर्गत अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार अथवा उनके समकक्ष आय वाले ऋणियों को राशि रु 10,000/- का अनुदान स्वीकृत किया गया है. समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि मुद्रा योजना में स्वीकृत अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार अथवा उनके समकक्ष आय वाले ऋणियों की सूची मय पूर्ण पता तथा बैंक खाता संख्या सहित उनके विभाग को प्रेषित करें जिससे योग्य जनों को लाभान्वित किया जा सके.

<u>भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) के अंतर्गत राज्य की 11000 ईकाईयों को वित्तपोषण करने के लक्ष्य रखे गए हैं एवं दिनांक 31.03.2019 तक बैंक शाखाओं द्वारा 10688 आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृति (पीएमएमवाई सहित) की कार्यवाही की गई है तथा लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 97.16% रही है.

प्रतिनिधि, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने उक्त योजनांतर्गत अच्छा सहयोग प्रदान करने पर बैंकों की सराहना की एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शीघ्र ही एक नई योजना लॉच करने के बारे में बताया. इस संबंध में एसएलबीसी से सहयोग के लिए अनुरोध किया
साथ ही अनुरोध किया कि DoIT विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करने हेतु बनाए गए पोर्टल के संबंध में होने वाली बैठक में उनके विभाग को भी बुलाया जाए जिससे वे भी सुझाव रख सकें.

<u>स्टेण्ड अप-इण्डिया (SUI)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप-इण्डिया योजनान्तर्गत 2 व्यक्तियों प्रति शाखा के मद्देनजर राज्य के बैंकों को आवंटित 13,782 इकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में दिनांक 31.03.2019 तक केवल 651 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है एवं संचयी (Cumulative) 3714 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है जो कि केवल 26.95% है.

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में मार्च 2019 तक 12409 इकाइयों को राशि रू 170 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2019 तक 2006 इकाइयों को 26 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है.

उन्होने बताया कि राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2019 तक केवल 4141 इकाइयों को राशि रू 77 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है एवं 1130 इकाइयों के रू 22.69 करोड़ के ब्याज अनुदान के प्रकरण लंबित है.

प्रतिनिधि, एनएचबी ने एनएचबी एवं बैंकों के आकड़ों के विचलन के कारण से सदन को अवगत बताया कि जिन खातों में सब्सिडी की राशि जमा की जा चुकी है वही खाते एनएचबी द्वारा डेटा में शामिल किए जाते हैं जबकि बैंकों द्वारा वे खाते भी डेटा में शामिल कर लिए जाते हैं जिनके लिए सब्सिडी क्लेम कर दी गयी है परंतु खाते में सब्सिडी जमा होना लंबित है.

<u>Dashboard to monitor the saturation under the Kisan Credit Card (KCC) Scheme</u>

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार से अनुरोध किया गया है कि जिला एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ समन्वय स्थापित कर समस्त किसानों को समयबद्ध तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान किए जाएँ जिससे उन्हे संस्थागत ऋण के समूह में लाया जा सके. उक्त अभियान के तहत प्रगति की निगरानी हेतु मंत्रालय द्वारा डैशबोर्ड विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है जिसके द्वारा फ़सली ऋण, पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु ऋण एवं मौजूदा केसीसी धारक किसानों के लिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रदान की गयी केसीसी ऋण सीमा की समीक्षा की जा सकेगी. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि राज्य/ जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें जिससे केसीसी ऋणों का त्वरित प्रसंस्करण एवं स्वीकृति सुनिश्चित की जा सके.

उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि शाखाओं को निर्देशित करें कि उक्त योजनांतर्गत की गयी प्रगति साप्ताहिक रूप से अग्रणी जिला प्रबन्धक को प्रेषित करें. अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा एसएलबीसी को जिले की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी ताकि एसएलबीसी द्वारा उक्त प्रगति रिपोर्ट को भारत सरकार के समक्ष समय पर प्रस्तुत की जा सके.

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि खरीफ 2018 के तहत 41.06 लाख बीमा पॉलिसी जारी की गयी हैं जिनका कुल बीमित क्षेत्रफल 45.93 लाख हैक्टेयर है, कुल बीमा राशि रु 14,582.22 करोड़ एवं किसान द्वारा वहन की गयी प्रीमियम राशि रु 327.76 करोड़ है. रबी 2018 के तहत 29.25 लाख बीमा पॉलिसी जारी की गयी हैं जिनका कुल बीमित क्षेत्रफल 30.48 लाख हैक्टेयर है, कुल बीमा राशि रु 13,772.28 करोड़ एवं किसान द्वारा वहन की गयी प्रीमियम राशि रु 247.93 करोड़ है.

उन्होने बताया कि उक्त योजनांतर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार एवं बीमा कंपनियों से संबन्धित कई अनसुलझे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने के लिए अनेक बैठकें की जा चुकी है लेकिन फसल बीमा योजना से जुड़े मुद्दों पर आज तक निर्णय नहीं हो पाया है. प्रमुखतः निम्न मुद्दे सुलझाए जाने अति आवश्यक हैं:-

- टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंम्पनी द्वारा खरीफ 2018 की प्रीमियम राशि बैंक शाखाओं को बिना राज्य सरकार की अनुमति के वापस लौटने के मुद्दे पर उक्त प्रीमियम बिना किसी शर्त के वापस स्वीकार करने का बैंकों का अनुरोध.
- पीएमएफ़बीवाई खरीफ 2018 व रबी 2018-19 के तहत पोर्टल पर आधार मिसमैच एवं गांवों का प्रदर्शित नहीं होने के कारण कृषकों के आंकड़े अद्यतन करने में आ रही परेशानी देखते हुए पोर्टल दुबारा खोलने हेतु अनुरोध. पोर्टल नहीं खुलने की दशा में पोर्टल पर अद्यतन करने से शेष रहे कृषकों के आंकड़ों पर मार्गदर्शन.
- फसल बीमा कंपनियों द्वारा देय रबी 2016 से लंबित सेवा प्रभार (service Charge) का शीघ्र भुगतान.
- फसल बीमा कंपनियों द्वारा तहसील स्तर पर स्थापित कार्यालय मय संबन्धित अधिकारी का नाम, संपर्क सूत्र, पता इत्यादि की सूची.
- खरीफ 2018 एवं उससे पूर्व के मौसम के आधार कार्ड रहित कृषकों के फसल बीमा राशि पर निर्णय.
- पोर्टल से संबन्धित अन्य तकनीकी मुद्दे जो हमारे कार्यालय एवं विभिन्न बैंकों द्वारा पूर्व में अवगत करवाए गए है.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पोर्टल के सुचारू रूप से कार्य नहीं करने के कारण बैंकर्स को देर रात तक डेटा अद्यतित करने हेतु रुकना पड़ता है. साथ ही पोर्टल में ऐसी कार्यक्षमता विकसित की जानी चाहिए ताकि बैंक शाखाएं संबन्धित आंकड़े ऑफलाइन मॉड्यूल में भी अद्यतित कर सके.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी बैठकों में विभिन्न हितधारकों की सहमति के पश्चात लिए गए निर्णयों का कुछ बीमा कंपनियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है जिसमें से प्रमुख रूप से टाटा एआईजी ने असहयोगात्मक रवैया अपनाया हुआ है. खरीफ 2018 के

आंकड़ें अद्यतित करने हेतु पोर्टल खुला होने के बावजूद भी टाटा एआईजी बीमा कंपनी द्वारा संबन्धित बैंक शाखाओं को फसल बीमा प्रीमियम की राशि लौटा दी गई है जो कि अनुचित है.

प्रतिनिधि, टाटा एआईजी ने इस संबंध में उन्होने दिनांक 01.02.2019 के भारत सरकार के पत्र का संदर्भ देते हुए बताया कि जो डेटा बैंकों द्वारा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है उसका प्रीमियम बीमा कंपनी के खातों में नहीं रखा जा सकता है. इस कारण से उक्त प्रीमियम राशि बैंकों को लौटाई गयी है. पोर्टल के दुबारा खोले जाने पर जो भी डेटा बैंकों द्वारा अद्यतित किया जाएगा उसका प्रीमियम कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाएगा.

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 08.02.2019 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमएफ़बीवाई, भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पोर्टल को दुबारा खोले जाने के निर्देश प्रदान किए गए लेकिन इसके बाद भी दिनांक 11.02.2019 बीमा प्रीमियम बैंकों को लौटा दी गई है एवं दिनांक 02.04.2019 को कृषि पंत भवन, जयपुर में आयोजित बैठक में आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने बिना किसी शर्त के उक्त प्रीमियम वापस स्वीकार करने के निर्देश प्रदान किए गए है इसके बाद भी टाटा एआईजी द्वारा प्रीमियम स्वीकार नहीं किया जा रहा है. इसके पश्चात 13.05.2019 को कृषि पंत भवन, जयपुर में आयोजित बैठक में आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने उक्त प्रीमियम वापस स्वीकार करने के निर्देश टाटा एआईजी इंश्योरेंस कं. को प्रदान किए गए है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि पीएमएफ़बीवाई के दिशा-निर्देशानुसार जिले/कलस्टर के लिए नामित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि प्रत्येक तहसील पर पदस्थापित होने चाहिए ताकि शिकायतों का त्वरीत निवारण किया जा सके लेकिन अधिकतर बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि राज्य स्तर पर ही पदस्थापित है इस संबंध में कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने बताया कि उक्त समस्त मुद्दों की परेशानी का मुख्य कारण पोर्टल का सुचारू रूप से कार्य नहीं करना है. यदि पोर्टल को ठीक किया जाये तो उक्त परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा एवं बीमा कम्पनियों के मुद्दो पर और अधिक जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात ही उस पर निर्णय प्रदान किया जा सकता है.

अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग एवं पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार ने उक्त मुद्दों के निस्तारण किए जाने के लिए शीघ्र ही एक बैठक आयोजित करने का आश्वासान प्रदान किया एवं उक्त बैठक में आईआरडीए, भारत सरकार के प्रतिनिधि, बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि एवं बैंकर्स को उक्त बैठक में आमंत्रित करने के निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही : कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>शिक्षा ऋण (Education Loan)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंकों द्वारा वर्ष 2018-19 में मार्च तिमाही तक राज्य में 12,233 छात्रों को राशि रू 425.98 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं जिनमें

कुल 51,103 छात्रों पर बकाया राशि रू 1,818.35 करोड़ है एवं 3.52% एनपीए होने से अवगत करवाया.

उन्होने बताया कि बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से 622 खातों में रु 31 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है. इस संबंध में एसएलबीसी द्वारा विद्यालक्ष्मी पोर्टल के आकडे उपलब्ध करवाने के लिए NSDL को अनुरोध किया गया है लेकिन आज दिनांक तक उक्त आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं

एजेंडा क्रमांक- 6

CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of special Sub-Committee of DCC (SCC)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जिलों का साख जमा अनुपात निम्नानुसार सूचित किया:

100% से अधिक साख जमा अनुपात 9 जिलों में,
71%-100% के मध्य साख जमा अनुपात 14 जिलों में,
61%-70% के मध्य साख जमा अनुपात 3 जिलों में,
51%-60% के मध्य साख जमा अनुपात 5 जिलों में,
41%-50% के मध्य साख जमा अनुपात 1 जिले में
40% से कम के मध्य साख जमा अनुपात 1 जिले में है.

उन्होने बताया कि जिला डूंगरपुर एवं सिरोही का साख जमा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित बेंचमार्क 60% से कम होने के कारण गत एसएलबीसी की बैठक में उक्त जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों को आमंत्रित कर साख जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए जांच रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण सदन के समक्ष किया गया. साथ ही उन्होने सदन को निम्नानुसार सूचित किया :

- मार्च 19 तिमाही जांच रिपोर्ट के अनुसार जिला डूंगरपुर में कुल जमा राशि (Total Deposit) रू 4,455.39 करोड़ में से NRI deposit राशि रू 497.41 करोड़ एवं Govt. Deposit राशि रू 133.42 करोड़ को घटाने के बाद एवं जिले में कार्यरत इकाइयों का वित्त पोषण अन्य जिलों की गई राशि अग्रिम राशि रू 115.20 करोड़ को जोड़ने पर दिनांक 31.03.2019 का जिले का साख जमा अनुपात 47.14% रहा है.

- जिला डूंगरपुर में साख जमा अनुपात कम रहने की प्रमुख वजह दूसरे केन्द्रों से स्वीकृत किया गया ऋण है जिसमें से मुख्य राजस्थान सिंटेक्स लि॰ का फ़ाईनेन्स (रु 98.97 करोड़) कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई एवं दिल्ली से किया गया है एवं रु 16.23 करोड़ का retail advances जिले के बाहर से स्वीकृत किया गया है.

जिला सिरोही का साख जमा अनुपात 41.60% रहा है। उन्होने प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध किया कि सिरोही जिले के साख जमा अनुपात के कम रहने के प्रमुख कारणों से सदन को अवगत करवाएँ।

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि 2 बड़ी औद्योगिक इकाइयों यथा जेके सीमेंट लि. (रु 300 करोड़) एवं वोलकेम इंडिया लि॰ (रु 16 करोड़) को ऋण जिले के बाहर से स्वीकृत किया गया है एवं उक्त अग्रिम राशि को जोड़ने के पश्चात 47.95% साख जमा अनुपात हो जाता है. जिले में कार्यरत बैंकों द्वारा जिले में अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि जिला डूंगरपुर एवं सिरोही औद्योगीकरण की दृष्टि से अत्यंत पिछड़े हुए जिले हैं. उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि जिलें में उद्योगों एवं रोजगार के साधन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है. साथ ही नयी औद्योगिक गतिविधियों के निर्माण संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए.

(कार्यवाही : आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

एजेंडा क्रमांक 7

NPA Position

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में मार्च, 2019 तिमाही तक कुल अग्रिम राशि रू 3,34,337 करोड़ है तथा कुल एनपीए राशि रू 12,145 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का 3.63% है. कृषि क्षेत्र में एनपीए 6.93%, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 2.91%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 1.85% एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 4.73% है.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत मार्च 2018 में कुल एनपीए 3.53% था जो कि मार्च 2019 में 3.63% है. मार्च 2018 में कुल कृषि ऋण एनपीए 5.08% था जो कि मार्च 2019 में बढ़कर 6.93% हो गया है.

Sub-Committee Meeting of SLBC on Recovery of Bank Dues

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की उपसमिति (बैंकों के बकाया ऋण) की प्रथम बैठक दिनांक 18.03.2019 को आयोजित की गयी एवं द्वितीय बैठक दिनांक 16.05.2019 को आयोजित की गयी जिसमें प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार ने बताया कि समस्त जिला कलेक्टरों को रॉको रोड़ा एक्ट व सरफेसी एक्ट के तहत वसूली में बैंकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के संबंध में अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से निर्देश प्रदान किए जा चुके है. साथ ही बताया कि राज्य स्तर पर होने वाली जिला राजस्व अधिकारियों की बैठक में एसएलबीसी एवं बैंकों

को स्थायी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा एवं वसूली हेतु राजस्व अधिकारियों को लक्ष्य प्रदान कर प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी.

<u>सरफेसी एक्ट, 2002, राको रोड़ा एवं वसूली</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत दिनांक 31.03.2019 तक कुल 866 मामले राशि रू 338 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 644 मामले राशि रू 270 करोड़ के प्रकरण 60 दिन से अधिक से लंबित हैं एवं राको रोड़ा एक्ट के अंतर्गत कुल 1,47,323 मामले राशि रु 3,005 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 85,724 प्रकरण 1 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं.

उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि सामान्यतः बैंको द्वारा वाहन पर ऋण प्रदान करने की स्थिति में दृष्टिबंधक की प्रविष्टि 'वाहन' पोर्टल एवं 'CERSAI' पोर्टल पर की जाती है. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.05.2019 को गज़ट नोटिफिकेशन (संलग्न) जारी किया गया है जो कि निम्नानुसार है:

3 मई, 2019 को केंद्रीय रजिस्ट्री की रजिस्ट्रीकरण प्रणाली, वाहन राष्ट्रीय रजिस्टर मोटर यान अधिनियम, 1968 की रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के साथ एकीकरण की तारीख और उस तारीख के रूप में घोषित करती है जिसमें ऐसे एकीकृत अभिलेख जहां तक ये यान के रजिस्ट्रीकरण से संबन्धित है, उपलब्ध होंगे।

एजेंडा क्रमांक- 8

<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में कार्यरत 35 आरसेटी द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है. दिनांक 31.03.2019 तक राज्य की समस्त आरसेटी की कुल व्यवस्थापन दर 73.05% है. उन्होने बताया कि राज्य में 19 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 4 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 7 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना शेष है।

राज्य निदेशक, आरसेटी ने बताया कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सभी आरसेटी में अच्छा कार्य किया गया है. लक्ष्यों की प्राप्ति 102% रही है, क्रेडिट लिंकेज भी 6% बढ़ा है एवं ग्रेडिंग भी अच्छी रही है. सीएनएन के लगभग 10-11 पैरामीटर को स्वीकार कर उस पर कार्यवाही करने हेतु आरसेटी को निर्देशित करने हेतु समस्त प्रायोजक बैंकों से अनुरोध किया.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य निदेशक, आरसेटी का धन्यवाद देते हुए बताया कि आरसेटी के भवन निर्माण के लिए आवंटित राशि रु 1 करोड़ की सीमा बढ़ाए जाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष मुद्दा उठाया गया है जिसके लिए सभी बैंकों से उक्त राशि

की सीमा तय करने हेतु सुझाव मांगे गए हैं. उन्होने समस्त आरसेटी प्रयोजक बैंकों से उक्त मुद्दो पर सुझाव एसएलबीसी एवं एसडीआर को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, आरसेटी प्रायोजक बैंक, एसएलबीसी एवं एसडीआर, भारत सरकार)

R-SETI Building Construction

सवाई माधोपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा) : उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यू.आई.टी. सवाईमाधोपुर ने आरसेटी, सवाईमाधोपुर के लिए ग्राम जटवाड़ा खुर्द में 2500 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की है. संभागीय आयुक्त, भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2018 को आयोजित बैठक में उक्त भूमि के निशुल्क आवंटन हेतु अनुशंसा की गयी. दिनांक 26.03.2019 को ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के साथ आयोजित की गयी बैठक में बताया गया कि उक्त भूमि पब्लिक पार्क एवं सड़क हेतु आरक्षित है उक्त भूमि आरसेटी को आवंटित नहीं की जा सकती है. अतः वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है.

अलवर (पंजाब नेशनल बैंक) : उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यूआईटी, अलवर द्वारा 2500 वर्ग मी. की भूमि पंजाब नेशनल बैंक को आवंटित कर रु 56,56,400/- का डिमांड नोटिस जारी किया गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि यूआईटी, अलवर द्वारा रु 56,56,400/-, ले-आउट चार्ज एवं अन्य चार्ज माफ किए जाने पर ही इस मुद्दे पर आगे कार्यवाही की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जैसलमेर (भारतीय स्टेट बैंक) : उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि संयुक्त शासन सचिव तृतीय, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग से प्राप्त पत्र क्र.प.2(5)नविवि/जैसलमेर/2017 दिनांक 02.04.2018 के अनुसार आरसेटी जैसलमेर के भवन निर्माण हेतु नगर विकास न्यास जैसलमेर की अमर शहीद सागरमल गोपा आवासीय योजना में ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित 2937 वर्ग गज भूमि निःशुल्क आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा आरसेटी निदेशक, जैसलमेर को लीज़ राशि के भुगतान हेतु डिमांड नोटिस भेजा गया है जिसमें भुगतान हेतु 2 विकल्प रखे गए हैं:-
1. 8 वर्ष तक रु 1,87,821/- प्रति वर्ष अथवा 2. दिनांक 31.03.2019 तक एकमुश्त रु 15,02,568/-
भारतीय स्टेट बैंक ने उक्त राशि की छूट प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जालौर (भारतीय स्टेट बैंक) : उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी जालौर को भवन निर्माण हेतु ज़िलाधीश महोदय, जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12(3)

(5)सार्व/राजस्व/12/88/ दिनांक 08.01.2016 के द्वारा भूमि आवंटन किया गया था. तत्पश्चात दिनांक 23.02.2016 को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था. दिनांक 29.03.2016 को पट्टा जारी होकर, 01.04.2016 को पंजीयन भी करवा दिया गया था. इसके पश्चात 21.07.2016 को श्री मुकेश सुनदेशा ने उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त भूमि पर अपना हक जताते हुए अपील दायर कर दी. तब से आज तक 9 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक लंबित है. आरसेटी के भूमि विवादित होने के कारण आरसेटी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है. इस संदर्भ में ज़िलाधीश, जालौर महोदय को भारतीय स्टेट बैंक के पत्र क्रमांक मा.बै.वि./497 दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से आरसेटी जालौर को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है, जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर से कार्यवाही अपेक्षित है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से वैकल्पिक भूमि आवंटन हेतु जिला कलेक्टर जालौर को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

पाली (भारतीय स्टेट बैंक) : उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पूर्व में टेगोर नगर पाली में नगर परिषद, पाली द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) को 1000 वर्ग गज तक भूमि आरक्षित दर के 5 प्रतिशत दर पर आवंटित किए जाने की स्वीकृति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी थी, परंतु आरसेटी बिल्डिंग बनाने के लिए न्यूमतम 0.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है. अतः नगर परिषद पाली को पुनः 26.02.2018 को आरसेटी पाली हेतु न्यूमतम 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करने हेतु लिखा गया है. नगर परिषद पाली द्वारा मानपुरा भाकरी रोड पर एक बीघा 2.5 बिसवा भूमि बताई गयी है, जो कि 0.5 एकड़ से कम है. अतः आयुक्त नगर परिषद पाली को 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने हेतु पुनः निवेदन किया गया है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से वैकल्पिक भूमि आवंटन हेतु जिला कलक्टर पाली को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान करने के लिए अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

सिरोही (भारतीय स्टेट बैंक): उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सिरोही में गत 6 वर्षों से राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर आरसेटी संचालित है जिसमें से 2 बीघा 8 बिसवा भूमि आरसेटी को निःशुल्क आवंटित की गयी थी. जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा उक्त भूमि की कीमत राशि रु. 8,59,320/- सरकार को जमा कराने हेतु भारतीय स्टेट बैंक को निर्देशित किया गया है. उक्त राशि की माफी हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार को अनुरोध किया गया लेकिन जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पुनः उक्त राशि माय ब्याज 7 दिवस के भीतर जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया. एसएलबीसी एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार को उक्त राशि माफ करने हेतु अनुरोध किया गया है.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि आरसेटी की व्यावसायिक बिजली की दर से घरेलू दर में परिवर्तन के मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाये.

प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने अवगत करवाया कि बिजली विभाग को इस संबंध में पत्र प्रेषित किया जा चुका है। बिजली विभाग द्वारा जनरल बॉडी की बैठक में उक्त मुद्दे पर चर्चा की जावेगी.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी के भूमि आवंटन के प्रकरण एवं व्यावसायिक बिजली की दर से घरेलू दर में परिवर्तन के मुद्दों के निस्तारण हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 10-15 अप्रैल, 2019 के मध्य प्रस्तावित थी लेकिन लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण उक्त बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है अतः उन्होने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में शीघ्र ही मई 2019 माह के अंत में बैठक आयोजन करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

Credit Assistance given to RSETI trainees under MUDRA Scheme- As on 31.03.2019

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 31.03.2019 तक कुल 15,641 प्रशिक्षुओं को मुद्रा योजना के अंतर्गत रु. 7,996.14 लाख का ऋण प्रदान किया जा चुका है एवं आरसेटी प्रशिक्षुओं के मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण हेतु 2685 आवेदन लंबित होने से सूचित किया. उन्होने सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपनी शाखाओं को 15 दिनों के भीतर लंबित ऋण आवेदनों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित करें. डीसीसी संयोजक बैंकों से अनुरोध है कि वे डीएलआरसी / बीएलबीसी बैठकों में प्रगति की निगरानी के लिए अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देशित करें.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>वित्तीय साक्षरता केंद्रों के लिए आरबीआई की आदर्श योजना के तहत प्रगति</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने 67 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से मार्च 2019 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 618 एवं पार्ट बी के लिए 1301 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं.

एजेंडा क्रमांक- 9

<u>Steps taken for improving Land Record, Progress in Digitization of Land Record and seamless Loan Disbursement</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी द्वारा राज्य के समस्त कस्बों/ नगरपालिका क्षेत्रों को Transfer of Property Act में चिन्हित करने हेतु पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,

राजस्थान सरकार द्वारा 286 केन्द्रों की सूची प्रदान की गयी जो कि वर्ष 1984 में तैयार की गयी थी. उन्होने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि उक्त सूची को अपडेट कर नए केंद्र जोड़े जाएँ.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य के कुछ जिलों यथा अजमेर, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर एवं सिरोही इत्यादि के रजिस्ट्रार/ तहसील कार्यालय द्वारा भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन करने एवं अन्य कारणों के चलते बैंक शाखाओं द्वारा प्रेषित कृषि भूमि के रहन के प्रकरण पिछले 2-3 माह से लंबित है जिससे कृषकों को कृषि ऋण प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण प्रगति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इस संबंध में उन्होने प्रतिनिधि, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार से कार्यवाही करने का अनुरोध किया.

उन्होने बताया कि भारत सरकार द्वारा केसीसी संतृप्ति का अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी प्राप्ति में भूमि का रहन बैंक के पक्ष में दर्ज नहीं होने की स्थिति में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः जल्द से जल्द उक्त मुद्दे को सुलझाने हेतु अनुरोध किया।

प्रतिनिधि, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि भीलवाडा जिले की तहसीलों में भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन करने में आ रही दिक्कतों को सुलझाया जा चुका है एवं अन्य स्थानों पर भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है. अन्य समस्त जिलों में आ रही परेशानी को दूर करने का आश्वासन दिया.

(कार्यवाही : पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा परिसर के बाहर लगे हुए Glow Sign Board के कारण बैंकों पर प्रभारित किये गये विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से पुनः अनुरोध किया. यह प्रकरण काफी लंबे समय से लंबित है.

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, संस्थागत वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने उक्त मुद्दे पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया.

(कार्यवाही : आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक में बैंकों से राज्य प्रमुख एवं राजस्थान सरकार से राज्य प्रमुख अथवा शासन सचिव/ आयुक्त स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना आवश्यक है. एसएलबीसी की उप समिति बैठक में बैंकों से

न्यूनतम सहायक महाप्रबंधक एवं राजस्थान सरकार से न्यूनतम संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना आवश्यक है.

(कार्यवाही : समस्त हितधारक, एसएलबीसी राजस्थान)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि एसएलबीसी के जो मुद्दे लंबे समय से राजस्थान सरकार के स्तर से लंबित हैं उनके निस्तारण हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की विशेष बैठक के आयोजना की संभावना तलाशे.

उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्राइवेट बैंकों की प्रगति अच्छी रही है. सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों यथा इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं आंध्रा बैंक की प्रगति काफी कम रहने से सूचित किया. उन्होने अनुरोध किया कि आर सेटी द्वारा प्रायोजित आवेदनों को स्वीकृत कर उक्त योजना में प्रगति की जा सकती है.

अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि एसएलबीसी की बैठक में एजेंडा आंकड़ो पर केन्द्रित ना होकर नीतिगत मुद्दों पर आधारित होना चाहिए एवं राज्य सरकार के सभी संबन्धित विभागों के उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा इस बैठक में सहभागिता की जानी चाहिए. साथ ही बताया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र में और अधिक ऋण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे किसानों को लाभान्वित किया जा सके.

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बताया कि एसएलबीसी की बैठक में सिर्फ नीतिगत मुद्दों पर ही चर्चा की जानी चाहिए एवं संबन्धित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा उप समिति की बैठक में की जानी चाहिए.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सभी सुझावों को अनुपालनार्थ नोट किया एवं सभी विभागों से अनुरोध किया कि एसएलबीसी की उपसमिति की बैठकों में विभाग/संस्थानों के उच्च अधिकारियों द्वारा सहभागिता करना सुनिश्चित किया जाये जिससे सभी मुद्दों पर ठोस निर्णय लिया जा सके अन्यथा सक्षम स्तर के अधिकारी की सहभागिता के अभाव में छोटे छोटे मुद्दों पर निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक में उक्त मुद्दों को मजबूरीवश प्रस्तुत करना पड़ता है.

उपमहाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि राजस्थान के समस्त जिलों से अनुमोदित वर्ष 2019-20 के वार्षिक साख योजना के लक्ष्य राशि रू 1,71,643 करोड़ के निर्धारित किए गए है जिसमें से कृषि के राशि रू 1,00,396 करोड़, एमएसएमई के राशि रू 52,938 करोड़ एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के राशि रू 18,310 करोड़ के लक्ष्य निर्धारित किए गए है.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना का अनुमोदन करने एवं सदन के समक्ष सभी मुद्दों पर सार्थक रूप से चर्चा करने पर सभी बैंकों का आभार प्रकट किया.

श्रीमती सविता डी. केणी, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा समिति में पधारे मंचासीन अतिथियों, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया.

****